



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09112022-240109
CG-DL-E-09112022-240109

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4974]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2022/कार्तिक 16, 1944

No. 4974]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2022/KARTIKA 16, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2022

का.आ. 5193(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1957 (अ) दिनांक 16.05.2018 भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखण्ड (ii) दिनांक 17.05.2018 में प्रकाशित अर्थात:-उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रमांक 1 के समक्ष: कालम 2 में, जिला राजस्व अधिकारी, वेल्लोर के स्थान पर विशेष जिला राजस्व अधिकारी (एलए), एनएचएआई, वेल्लोर प्रतिस्थापित किया जायेगा।

फुट नोट : मूल अधिसूचना का.आ. 16.05.2018 भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-ii, खंड -३, उपखण्ड (ii) दिनांक 17.05.2018 में प्रकाशित।

भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी के पदनाम में परिवर्तन।

[फा. सं. RW-MD/TN/LA/VG/1/2018]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th November, 2022

S.O. 5193(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in notification of the government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 1957(E) dated 16.05.2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (II), 17.05.2018 namely:—

In the schedule to the said notification, against Serial No. 1 in column 2 for the entry District Revenue Officer, Vellore the entry Special District Revenue Officer (LA), NHAI, Vellore shall be substituted.

Change in designation of Competent Authority for Land Acquisition.

[F. No. RW-MD/TN/LA/VG/1/2018]

RAJESH GUPTA, Director